भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 120

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहाण, 1946 (शक) को दिया गया

धनी व्यक्तियों के ऋण का निपटारा

120. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धनी व्यक्तियों के 49,000 करोड़ रुपये के ऋण को मात्र 455 करोड़ रुपये में निपटाने की अनुमति दी है, जो बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का मात्र 0.92 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे निपटान क्रोनी कैपिटलिज्म का मामला है, जहां बड़ी कंपनियों और धनी व्यक्तियों के साथ नरमी बरती जाती है, जबकि आम नागरिकों और छोटे व्यवसायों पर उच्च ब्याज वाले ऋण और शास्ति का बोझ डाला जाता है;

(घ) क्या सरकार या कोई अधिकारी उपरोक्त निपटान को सुगम बनाने में सीधे तौर पर शामिल था और यदि हां, तो इस मामले में जनहित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार बड़ी कंपनियों की तुलना में आम ऋण चूककर्ताओं के साथ अलग से व्यवहार करती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ)- वांछित सूचना एक कॉरपोरेट उधारकर्ता (सीडी) की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से संबंधित है जिसमें ऋण दाता ने 49668 करोड़ रुपये का कुल दावे प्रस्तुत किए थे तथापि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने 47251 करोड़ रुपये की राशि के दावे स्वीकार किए जिसमें से 41397 करोड़ रुपये के दावे वित्तीय ऋण दाता से संबंधित है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के दिनांक 19.12.2023 के आदेश के अनुसार वित्तीय ऋण दाताओं के कुल स्वीकृत दावों में से सीडी को दिया गया प्रत्यक्ष ऋण केवल 182.20 करोड़ रुपये (कुल ऋण का 0.44%) है। शेष राशि को कॉरपोरेट गारंटियों तथा सीडी की तीन समूह कंपनियों से संबंधित अन्य समानुरूपी/तृतीय पक्ष दायित्वों के आधार पर स्वीकृत किया गया था। ये दायित्व इन समूह कंपनियों के सीआईआरपी में स्वीकृत दावों के भी भाग हैं। इनमें से दो समूह कंपनियों की सीआईआरपी अभी भी प्रक्रियाधीन है तथा इस समूह के व्यक्तिगत गारंटीकर्ता के संबंध में दीवाला समाधान प्रक्रिया राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में लंबित है। इसके अतिरिक्त अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार उक्त सीडी का परिसमापन मूल्य 428.59 करोड़ रुपये था तथा उधार ऋणदाताओं के वसूली योग्य कुल राशि 455.92 करोड़ रुपये थी।

एक बार जब सीआईआरपी आवेदन एनसीएलटी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो सीडी का एक पारदर्शी तथा बाजार चालित प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाता है जिसमें संभावित समाधान आवेदकों द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है। ऋण दात्री समिति अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार उक्त समाधान योजना की व्यवहार्यता तथा अर्थक्षमता का आकलन करती है जिसे बाद में एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीआईआरपी के माध्यम से ऋण दाताओं द्वारा की जाने वाली वसूली समाधान के समय आस्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर है।

इसके अतिरिक्त दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के उपबंधों के अनुसार एनसीएलटी में किसी सीडी के विरूद्ध सीआईआरपी के आवेदन दर्ज किया जाता है और यदि चूक की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपये है, तो ऐसे सभी मामलों में समाधान की इसी समान प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

*****